

न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-128 / 2014
संस्थित दिनांक-10.12.2014
फाईलिंग नम्बर-234503011912014

1-श्रीमती प्रीती चौहान पति जलीन्दर चौहान, उम्र-28 वर्ष, जाति बंजारा,
निवासी-वार्ड नंबर 8, चालीस मकान बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
हाल मुकाम-ग्राम माटे, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

2-करन चौहान पिता जलीन्दर चौहान, उम्र-10 वर्ष, जाति बंजारा,
नाबालिग वली माँ श्रीमती प्रीती चौहान पति जलीन्दर चौहान,
निवासी-वार्ड नंबर 8, चालीस मकान बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
हाल मुकाम-ग्राम माटे, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

3-कुमारी अंकिता चौहान पिता जलीन्दर चौहान, उम्र-8 वर्ष, जाति बंजारा,
नाबालिग वली माँ श्रीमती प्रीती चौहान पति जलीन्दर चौहान,
निवासी-वार्ड नंबर 8, चालीस मकान बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
हाल मुकाम-ग्राम माटे, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

----- आवेदिका

// विरुद्ध //

जलीन्दर चौहान पिता जलाराम चौहान, उम्र-32 वर्ष, जाति बंजारा,
निवासी-वार्ड नंबर 8, चालीस मकान बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- अनावेदक

// आदेश //
(आज दिनांक-22/06/2016 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत
धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि दिलाये जाने बाबद् का
निराकरण किया जा रहा है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है।

3— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक जलीन्दर चौहान से हिन्दू जाति-रीति-रिवाज अनुसार वर्ष 2003 में हुआ था। विवाह के पश्चात् आवेदिका एवं अनावेदक को एक पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न हुए। वर्तमान में आवेदिका का पुत्र एवं पुत्री अपनी माँ के साथ निवास करते हैं। विवाह के पश्चात् अनावेदक ने आवेदिका के साथ विवाद करना शुरू कर दिया एवं शराब पीकर गंदी गालियां देने लगा। अनावेदक, आवेदिका के साथ बात-बात पर मारपीट करता था। आवेदिका ने वैवाहिक संबंध बने रहें इस बात के लिए अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। इसके पश्चात् अनावेदक ने आवेदिका तथा उसके बच्चों को अपने साथ रखने से इंकार कर दिया और उसे घर से भगा दिया। वर्तमान में आवेदिका अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। आवेदिका स्वयं तथा अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। अनावेदक व्यवसाय से वाहन चालक है और लगभग 15-16 हजार रुपये मासिक रुपये कमा लेता है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को भरण-पोषण राशि दिलाई जावे।

4— अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि आवेदिका उसकी विवाहिता पत्नी है एवं आवेदिका से उसे पुत्र एवं पुत्री का जन्म हुआ है। अनावेदक आवेदिका से विवाद नहीं करता था। अनावेदक ने स्वीकार किया है कि आवेदिका स्वयं का तथा अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका स्वयं अनावेदक से विवाद करती थी और बिना किसी कारण से अपने मायके जाकर रहने लगी। वर्तमान में उसके पुत्र व पुत्री उसके साथ ही रहते हैं। उपरोक्त स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका युक्तियुक्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या आवेदिका स्वयं अपने पुत्र एवं पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
3. क्या अनावेदक, आवेदिका तथा उसके पुत्र-पुत्री का भरण पोषण हेतु दायित्वाधीन है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 का सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका श्रीमती प्रीती चौहान (आ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि उसका विवाह वर्ष 2003 में अनावेदक से हुआ था। विवाह के पश्चात् उसके तथा अनावेदक के संसर्ग से एक पुत्र एवं पुत्री उत्पन्न हुए थे। विवाह के पश्चात् अनावेदक ने ऐलु बातों को लेकर उसके साथ मारपीट करता था। अनावेदक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और खाने भी नहीं देता था। अनावेदक की प्रताड़ना से तंग आकर वर्तमान में वह आपने मायके में रहती है। उसने अनावेदक के विरुद्ध पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श ए-1 पुलिस थाना बैहर में द.प्र.सं की धारा-155 के अंतर्गत लिखाई गई शिकायत है, जिसमें आवेदिका ने अनावेदक द्वारा मारपीट करने के विषय में शिकायत थाने पर की थी, यह दर्शित है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के कथनों का प्रतिपरीक्षण नहीं कराने से वह अखण्डित रही है। अनावेदक के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी अश्वनलाल आ.सा.2 ने कहा है कि आवेदिका द्वारा मारपीट एवं प्रताड़ना से तंग आकर आवेदक उसके पति से पृथक निवास किया जाने लगा है। अनावेदक आवेदिका के साथ मारपीट करता था और उसकी प्रताड़ना से तंग होकर आवेदिका वर्तमान में पृथक निवास करती है। यह बात प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट हो रही है। यह भी प्रकट हो रहा है कि अनावेदक द्वारा बलपूर्वक आवेदिका को घर से निकाला गया है। अतः आवेदिका का पृथक निवास किया जाना युक्तियुक्त आधारों पर प्रमाणित है। अतएव विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष प्रमाणित में किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कं.-2 व 3 का निष्कर्ष :-

7— आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। उसके पुत्र तथा पुत्री भी उसके साथ रहते हैं, उनका भरण-पोषण का भार भी आवेदिका पर है। अनावेदक ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए वह अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती। आवेदिका का यह भी कहना है कि अनावेदक वाहन चालक का कार्य करता है, जिससे उसे लगभग 15-16 हजार रुपये प्रतिमाह की आय होती है। आवेदिका ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक की आय के विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, इसलिए अनावेदक की आय के विषय में कोई प्रमाणिक धारणा नहीं की जा सकती। आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है एवं उसके पुत्र-पुत्री भी आवेदिका के साथ रहते हैं, यह बात

अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित है। विधि अनुसार अनावेदक अपनी वैध विवाहिता पत्नी तथा संतानों का भरण-पोषण के लिए दायित्वाधीन है। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष प्रमाणित में किया जाता है।

8- विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका, अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से पृथक निवास कर रही है। यह भी प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है एवं अनावेदक, आवेदिका और उसके पुत्र एवं पुत्री का भरण-पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आवेदिका को भरण-पोषण के लिए 2000/-रूपये तथा पुत्र एवं पुत्री के लिए 500/-, 500/-रूपये प्रति माह, इस प्रकार कुल 3000/-रूपये की राशि आवेदिका तथा उसके बच्चों को दिलाया जाना उचित होगा।

9- आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदक आवेदिका को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 2000/-रूपये व उसके पुत्र एवं पुत्री को भरण-पोषण हेतु क्रमशः 500/-, 500/रूपये की राशि, इस प्रकार कुल 3000/-रूपये की राशि का भुगतान करेगा। यह राशि अनावेदक आवेदिका को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच में भुगतान करेगा।

10- आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

दिनांक-22.06.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0